फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 296/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/325) **श्री डालु जाट बनाम तहसीलदार कपासन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.01.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री चन्द्रशेखर आमेटा - वकील अपीलार्थी 2. श्री शिवनारायण जाट व पी.सी.पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-2 व 3 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1 **अनवान** 1. श्री डालु पिता श्री मियाचंद, हीराजी का खेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ **अपीलार्थी** 1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ 2. श्री भगवानलाल पिता श्री किशना जाट, हीराजी का खेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ 3. श्री हीरालाल पिता श्री किशना जाट, हीराजी का खेड़ा, तहसील कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ **प्रत्यर्थी**	

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 27.10.2021, प्रकरण संख्या 04/2020, बउनवानी श्री डालु बनाम तहसीलदार, कपासन व अन्य

<u>निर्णय</u>

दिनांक 20.01.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 27.10.2021, प्रकरण संख्या 04/2020, बउनवानी श्री डालु बनाम तहसीलदार, कपासन व अन्य, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री डालु पिता मियाचन्द ने ग्राम हीराजी का खेड़ा के खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.55 हैक्टेयर किस्म रास्ता सिवाय चक भूमि में से 0.06 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर बाड़ा बनाकर अवैध निमार्ण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, कपासन द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 120/2019 दर्ज कर निर्णय दिनांक 31.12.2019 को पारित किया और उक्त भूमि पर किये अतिक्रमण को हटा कर बेदखल करने व कुल राशि 50 रूपया का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश प्रसारित किया।

- तहसीलदार, कपासन के निर्णय दिनांक 31.12.2019 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय अति.जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 27.10.2021 पारित किया।

उक्त निर्णय दिनांक 27.10.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय समक्ष अन्दर मयाद अपील दिनांक 23.12.2021 को प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 19.01.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि उक्त आराजी 1034 रकबा 0.55 हैक्टेयर के 0.06 हैक्टेयर भाग पर अपीलार्थी का बाड़ा बना हुआ है जो अपने पशु एवं धास रखने के उपयोग में दादाजी के समय से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 296/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/325) **श्री डालु जाट बनाम तहसीलदार कपासन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

करीबन 50 वर्षों से बना हुआ है। उक्त बाड़े से 30 फीट का रास्ता बना हुआ है, जिससे गांव के लोग आते जाते है, किसी प्रकार से बाधक नहीं है। अपीलार्थी का रास्ते पर कोई कब्जा नहीं है। रास्ता अलग से चालु होकर लम्बी चौडी जगह खाली पड़ी हुई है। उक्त आराजी 1034 पर कई अन्य व्यक्तियों के बाडे बना रखे है व अपीलार्थी से वैमनस्यता रखने से इस प्रकार की बेदखली की कार्यवाही की शिकायत की गई। प्रत्यर्थी-2 व 3 स्वयं ने कब्जा कर रखा है। पटवारी हल्का द्वारा कोई मौका निरीक्षण नहीं किया गया। कब्जे की गलत शिकायत की गई। तहसीलदार, कपासन द्वारा अपीलार्थी के न कोई बयान कलमबद्ध किये, न ही कोई मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई। सिर्फ मात्र एन्ट्री की वजह से एकतरफा निर्णय पारित किया गया। पटवारी रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में बनाई गई, शिकायतकर्ता एवं पटवारी की मिलीभगत से आधी अधुरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर तहसीलदार, कपासन एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अविधिक निर्णय पारित किये जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाये जावें।

प्रत्यर्थी-2 व 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा उक्त बहस के खण्डन में प्रस्तुत किया कि ग्राम हीराजी का खेड़ा की आराजी संख्या 1034 किस्म रास्ता दर्ज है तथा नक्शें में भी रास्ता अंकित है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध अतिक्रमण कर निर्माण कर रखा है। उक्त निर्माण नवीन निर्माण है, जो अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्राप्त की गई मौका रिपोर्ट से प्रमाणित होती है। अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार के आदेश के उपरान्त भी अतिक्रमण करते हुए निर्माण जारी रखा और आदेशों की अवहेलना की गई। आराजी संख्या 1034 से सटी हुई प्रत्यर्थी 2 व 3 की खातेदारी आराजीयात 410 से 416 स्थित हे जिससे वह भी प्रभावित पक्षकार है। उक्त भूमि रास्ता होकर प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी के खातेदारी अधिकार प्रोद्भुत नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी को पर्याप्त एवं समुचित सुनवाई के अवसर प्रदान किये। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पूर्णतया तार्किक एवं विधिक होने से उन्हे यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

प्रत्यर्थी-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अतिक्रमित भूमि रास्ता होकर प्रतिबंधित भूमि है, जिसका नियमन नहीं किया जा सकता है।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री डालु पिता मियाचन्द ने ग्राम हीराजी का खेड़ा के खसरा नम्बर 1034 रकबा 0.55 हैक्टेयर किस्म रास्ता सिवाय चक भूमि में से 0.06 हैक्टेयर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर बाड़ा बनाकर अवैध निमार्ण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तहसीलदार, कपासन द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 120/2019 दर्ज कर निर्णय दिनांक 31.12.2019 को पारित किया और उक्त भूमि पर किये अतिक्रमण को हटा कर बेदखल करने व कुल राशि 50 रूपया का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश प्रसारित किया, जिससे अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ द्वारा यथावत रखा गया, जिसके फलस्वरूप हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलार्थी का तर्क रहा है कि विवादित भूमि पर उनका 50 से पूर्व का कब्जा है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 296/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/325) **श्री डालु जाट बनाम तहसीलदार कपासन व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है जो अपीलार्थी के 50 पूर्व से लगातार कब्जे को साबित करता हो। न ही अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार, कपासन से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसके अवलोकनुसार यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आराजी की 0.06 हैक्टेयर भूमि किस्म रास्ता पर पक्की चारदिवारी कर पक्का बाड़ा बनामर लोहे के फाटक लगा रखे है और यह निर्माण लगभग 2 से 3 माह पूर्व किया गया है। यह स्थिति अपीलार्थी के 50 वर्ष पुराने कब्जा होने के कथनों का खण्डन करती है। इसके अतिरिक्त अतिक्रमित भूमि किस्म रास्ता है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लधंन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी अपने कब्जे को विधि के प्रवर्तन में विधि के अनुसरण में स्थापित करने में विफल रहा है जिसका परिणाम बेदखली विधि में प्रावधनित है।

दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है।

विवादित भूमि किस्म रास्ता होकर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण होने पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा अतिरिक्त जिला कलक्टर-प्रशासन, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.10.2021 एवं तहसीलदार, कपासन का निर्णय दिनांक 31.12.2019 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर